जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक 13.11.2024**

थाना कैराना पुलिस द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 13.11.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे वारंटी व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल निर्देशन में थाना कैराना पुलिस द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि थाना कैराना क्षेत्रान्तर्गत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक युवक द्वारा अभद्र टिप्पणी की गई थी । जिसके सम्बन्ध में थाना कैराना पुलिस द्वारा संज्ञान लेकर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना में लिप्त अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश प्रभारी निरीक्षक कैराना को दिये गये थे।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तणः-

1.शुऐब पुत्र कदीर निवासी मौहल्ला बेगमपुरा थाना कैराना जनपद शामली।

थाना थानाभवन पुलिस द्वारा चोरी के मामले में 01 अभियुक्ता गिरफ्तार व 01 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में कब्जे से चोरी की गयी नगदी बरामदः-

आज दिनांक 13.11.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध वाहन/व्यक्ति की चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल नेतृत्व में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा चोरी के मामले में 01 अभियुक्ता को गिरफ्तार करने व 01 बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लेने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है, जिनके कब्जे से चोरी की गयी नगदी 3,000/- रुपये बरामद हुये है। गिरफ्तारी/बरामदगी/पुलिस अभिरक्षा मे लेने के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो दिनाँक 08.11.2024 को थाना थानाभवन क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा वादी श्री पाल्ला पुत्र कृपा निवासी ग्राम गढ़ी अब्दुल्ला थाना गढ़ीपुख्ता जनपद शामली की दो पहिया वाहन पर रखे नगदी के थैले को चोरी कर लिया गया था। घटना के सम्बन्ध में वादी श्री पाल्ला उपरोक्त की तहरीर के आधार पर थाना थानाभवन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्ताः-

1.पदमा बाई पत्नी बाबू लाल निवासी ग्राम गुलखेड़ी थाना बोड़ा जनपद राजगढ़ (म0प्र0)।

बरामदगी का विवरणः-

1.चोरी की गयी नगदी (3,000) व आधार कार्ड।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI